

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल— 18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. किशन कुमार लोद पुत्र संगम लाल नि० वैशनपुरवा लाले मऊ थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—261/22, 02. राकेश सिंह पुत्र गुल्ले सिंह ग्राम बैसन पुरवा लालेमऊ थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—262/22, 03. बाबूराम मिश्रा पुत्र गंगाराम मिश्रा नि०ग्राम बड़की मुसौली गोकलपुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—263/22, 04. ज्ञान प्रकाश तिवारी पुत्र रामरंग तिवारी नि० ग्राम माधोपुर राय थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—264/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. चन्द्रबली पुत्र राजाराम नि० रमईजोत पेरीपोखर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—218/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामू पुत्र जगदीश नि० ग्राम खिरौरा मोहन थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—237/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अनेश हरिजन पुत्र बुझावन कोरी नि०ग्राम बल्लीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—250/22, 02. विजय निषाद पुत्र सुखराम निषाद नि० जैतपुरउ थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—251/22, 03. वंशी कोरी पुत्र उदयराज कोरी नि० अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—252/22, 04. नकछेद कोरी पुत्र जगदीश नि० जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—253/22, 05. रामसजीवन कोरी पुत्र ननकन कोरी नि० जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—254/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. फूलचन्द्र वर्मा पुत्र रामदयाल वर्मा नि० ग्राम बरईपारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—183/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल, जनपद गोण्डा दिनांक 28.06.2022

छेडछाड करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा छेडछाड करने के वांछित अभियुक्त मुकेश कुमार निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना खोड़ारे क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ छेडछाड किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना खोड़ारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मुकेश कुमार निषाद पुत्र कंशू नि० कूकनगर ग्रन्ट धोबहा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:—

01. मु०अ०सं०—96/22, धारा 354ख, 506 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता:—

उ०नि० रामकेश चौधरी मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.06.2022

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त सलीम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया में आर्म्स ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सलीम पुत्र अजीज नि0 मल्हीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-164/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ0नि0 अरुण कुमार गौतम मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.06.2022

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अखिलेश यादव पुत्र श्याम सुन्दर यादव नि० ग्राम मधईपुर तेजऊपुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-137/22, धारा 354,376,506,406 भादवि व 3(2)(5)एस०सी०एस०टी० ऐक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता:-

उ०नि० वीरेन्द्र कुमार शुक्ला मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.06.2022

01 किलो 280 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 28.06.2022 को थाना कौड़िया के उ०नि० रामप्रसाद भार्गव मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में खाना था कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त शाहिद को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 280 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शाहिद पुत्र ननकरु उर्फ छोटेलाल नि० ग्राम चयपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 129/22, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 किलो 280 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० रामप्रसाद भार्गव मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.06.2022

दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को०नगर पुलिस द्वारा दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता श्रीमती मालती गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्ता द्वारा वादी की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित किया जाता था जिससे छुब्ध होकर पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को०नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना को०नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. मालती गुप्ता पत्नी अम्बिका प्रसाद नि० साहबगंज बलवंतपुरवा थाना को०नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-383/22, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी०पी० ऐक्ट थाना को०नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ०नि० रणजीत यादव मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.06.2022

जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 97/22, धारा 307,504,506,34 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शुभम सिंह उर्फ मोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने जमीनी विवाद के चलते वादिनी व वादिनी के परिजनों के ऊपर जान से मारने की नियत से असलहे से फायर कर दिया था। जिससे वादिनी का पुत्र सुमित गम्भीर रूप से घायल हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शुभम सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रताप सिंह नि0 ग्राम लाली पोखरा मुजेहना थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 97/22, धारा 307,504,506,34 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 संतोष कुमार मय टीम।